

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 920 / 2009 / चित्तौड़गढ़

गंगाराम पुत्र कन्हैयालाल मालवीय,
डाक बंगला रोड़, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़
बनाम

.....अपीलार्थी

उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर
वाणिज्यिक कर अधिकारी, निम्बाहेड़ा

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक
श्री आर.के.अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक :- 01.08.2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री टैक्स ऑफ मोटर व्हीकल इन टू लोकल एरिया एक्ट, 1988 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 3 व 6 के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 01.04.2009 के विरुद्ध की गयी है, जिसमें वर्ष 2008-09 के लिये पारित कर निर्धारण आदेश की पुष्टि की गई थी।
2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।
3. अपीलार्थी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि व्यवहारी का कर निर्धारण आदेश निर्धारित अवधि के पश्चात किया जाने से उसे कालातीत होने के आधार पर अपास्त किया जावे जिसमें मुख्य तर्क यह था कि व्यवहारी एक कैजुअल टेडर्स होने से कर निर्धारण आदेश दो वर्ष की अवधि में ही निस्तारित किया जाना चाहिये था जबकि वह दो वर्ष पश्चात पारित किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील इस आधार पर अस्वीकार की गई है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय एस.बी. सिविल प्रवेश कर रिविजन संख्या 186/2007 वा.क.अ. बनाम मैसर्स मीर बहादुर निर्णय दिनांक 05.01.2009 में यह अवधारित किया गया है कि वाहन का आयातकर्ता एक कैजुअल टैडर्स की श्रेणी में नहीं आता है अतः किया गया कर निर्धारण समयावधि के भीतर होने से विधिसम्मत माना गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर दिये गये निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से कवर्ड होने से इसमें कोई त्रुटि नहीं है अतः अपीलार्थी का यह तर्क खारिज किया जाता है।
4. इसके अलावा अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि उनके द्वारा आयात किया गया वाहन अधिसूचना दिनांक 29.03.2001 की प्रविष्टि संख्या 40 के अनुसार ट्रेक्टर इनक्लूडिंग ट्रेलर की श्रेणी में होने से एवं इस पर 4 प्रतिशत की ही कर दर होने से प्रवेश कर भी 4 प्रतिशत से देय है।

लगातार.....2

अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दू पर यह निर्णय किया गया है कि व्यवहारी द्वारा जो वाहन खरीदा गया है वह ट्रैक्टर की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि उसके द्वारा अशोक लैलेंड लिमिटेड नामक कम्पनी से चेसिस की खरीद की गयी है जो कि ट्रैक्टर इनक्लूडिंग ट्रेलर की श्रेणी में नहीं आता है। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अशोक लैलेंड कम्पनी से एक चेसिस की खरीद की गई है जो ट्रैक्टर की श्रेणी में आने योग्य नहीं है क्योंकि ट्रैक्टर के लिये कोई चेसिस नहीं बनाई जाती है बल्कि वह पूर्ण रूप से केवल ट्रैक्टर ही निर्मित होता है एवं इसमें अलग से कोई बॉडी बनाने का विकल्प नहीं होता है, जबकि चेसिस केवल ट्रक या बस के लिये ही निर्मित होती है जिस पर आवश्यक आकार की बॉडी बनाई जा सकती है। अतः उक्त मोटर वाहन की खरीद पर 12 प्रतिशत की कर दर से प्रवेश कर विधिसम्मत मानकर जो अपील अस्वीकार की गई थी, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(क.एल.जैन)
सदस्य